

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-03/2026-27

पत्रांक707...../

बेतिया,

दिनांक 26/5/2026

तिरहुत नहर प्रमण्डल-1, बेतिया के अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल-1, बेतिया हेतु 4 (चार) अदद बोलेरो/स्कॉर्पियो निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे बंद लिफाफे में दिनांक-06.06.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक तिरहुत नहर प्रमण्डल-1, बेतिया कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

शर्तें निम्नवत् है :-

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. वाहन 10 (दस) वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लौंगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईंधन सहित प्रति माह 1100 एक हजार एक सौ कि०मी० ईंधन सहित मासिक भाडा (चालक एवं सभी करों सहित) माह मे एक हजार एक सौ कि० मी० से अधिक चलने पर प्रति 10 कि०मी० पर एक लिटर ईंधन मुल्य भुगतान किया जायेगा तथा इसी प्रकार माह मे 1100 कि०मी० से कम चलने पर प्रति 10 कि०मी० पर एक लिटर ईंधन मुल्य की कटौती कि जायेगी। मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ 1000 के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. खरीफ एवं रब्बी अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनो समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।


14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
17. चार अदद वाहन में से दो अदद वाहन का एकरारनामा (एकरारनामा की तिथि से 31 मार्च 2027 तक) एवं शेष दो अदद वाहन का एकरारनामा (एकरारनामा की तिथि से 25 अक्टूबर 2026 तक) तथा रबी अवधि (20 दिसम्बर 2026 से 25 मार्च 2027 तक) किया जायेगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 16 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैद्य कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

S /
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमण्डल-1, बेतिया।

पत्रांक707...../ बेतिया, दिनांक...26/...5.../2026

प्रतिलिपि:—सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।


कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमण्डल-1, बेतिया।
